बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि 29 अगस्त, 1984

विषय-सूची

	पृष्ठ
शून्यकाल की चर्चाएँ : ...	1-2
(क) नदी का कटाव ...	
(ख) राशि का गबन ..	
(ग) कोशी नहर में सुधार ...	
अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य :	3—5
सुलतानगंज-देवघर पथ में सुधार ...	
ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	5—7
(क) अनुदान की स्वीकृति ...	
(ख) सड़क की मरम्मती ...	
अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस पर सरकारी वक्तव्य :	7—9
अनुमण्डल मुख्यालय का स्थानातरण ...	
अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण	
आदिवासी प्रचलन पर रोक	9—10

डूबकर मर गए लेकिन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा एक लाख रुपया देने की घोषणा करने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गोपालगंज के डी० एफ० के मृत्यु पर उनकी पत्नी और बच्चों को जो-जो सुविधा दी गयी थी, क्या वह सुविधा श्री हरेन्द्र कुमार की पत्नी और बच्चों को देने जा रही है ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मुख्य मंत्री का जो घोषणा हुई है और वह राशि कल्ह स्वं कृत हो गई है और कल्ह ही ए० जी० रांची को प्राधिकार पत्र देने के लिए चिट्ठी चली गई है। प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर शीघ्र ही एक लाख रु० का भुगतान कर दिया जायेगा। साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि श्रीमती राधा देवी के अन्य मांगों पर विचार कर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(ख) सड़क की मरम्मती।

श्री अवध विहारी सिंह—अध्यक्ष महोदय, खेसरा नं० 1275 बीहपुर बीरपुर पथ के दक्षिण पश्चिम की ओर है, इस पर कोशी बांध बनने के पूर्व पी० डब्लू० डी० ने मधेपुरा शहर को सुरक्षा हेतु, रींग बांध बनाया था। यह सड़क नहीं है। कोशी को बाढ़ नहीं आने के कारण इसके मरम्मती पर विगत वर्षों से विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में यह बांध पंचगछिया सड़क नहीं कहलाता है बल्कि इसकी लंबाई 1560 फीट है जो टी० पी० कालेज से आजाद टोला तक ही सीमित है। इसके दोनों ओर घनी आबादी है।

जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न है इसको रोकने हेतु 1973 में अतिक्रमण करने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा के पास मुकदमा दायर किया गया था जिसका पी० एस० मुकदमा नं० 96/73 एवं 92/73 है।

जहां तक सर्वे का प्रश्न है सर्वे विभाग से इस संबंध में मधेपुरा प्रमंडल को बांध से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि मधेपुरा अवर प्रमंडल ने अपने पत्रांक-276 दि० 23 जुलाई 1984 के द्वारा भू-बन्दोबस्ती पदाधिकारी सहरसा को अनुरोध किया है कि सरकार के हित में पी० डब्लू० डी० को भूमि को नक्शा में सुरक्षित रखा जाय।

खेसरा नं० 1275 पर जो रींग बांध आजाद टोला तक है, डी० पी० कालेज चौक से रींग बांध पश्चिम होते हुए दक्षिण की ओर से पूर्णिया सहरसा पथ में मिल गया है जिसकी लम्बाई 2 मील 336 फीट है और फिर आजाद टोला चौक से दूसरा रींग बांध पश्चिम होते हुए दक्षिण जाकर पूर्णिया सहरसा पथ से मिल गया है जिसकी लम्बाई 2

मील 810 फीट है। यह सभी रींग बांध नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता है। इसके पक्कीकरण का सरकार के पास निधि के अभाव में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सरकार अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए कारंवाई करेगी।

अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उसपर सरकारी वक्तव्य :

(क) अनुमंडल-मुख्यालय का स्थानान्तरण।

श्री रामवृक्ष चौधरी—अगस्त 1980 से बराबर विभिन्न समाचार-पत्रों, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जिला के अधिकांश विधायकों द्वारा सीतामढ़ी पूर्वी अनुमंडल का मुख्यालय डुमरा को स्थानान्तरण कर पुपरी में लाने का आग्रह किया जाता रहा है। सीतामढ़ी जिला के शहरों में सीतामढ़ी के बाद सभी दृष्टि से पुपरी शहर ही एक मात्र दूसरा स्थान है जो अनुमंडल मुख्यालय रखने का मापदंड पूरा करता है। समाहर्ता, सीतामढ़ी ने पुपरी में अनुमंडल कार्यालय ले जाने के लिए अपने पत्रांक 1076 (सी०) दिनांक 28 मार्च, 1983 द्वारा उच्च पदाधिकारी एवं सरकार को प्रतिवेदन भेजा है। जिला परिषद, सीतामढ़ी ने अपनी सामान्य बैठक, दिनांक 6 फरवरी 1984 एवं 9 अगस्त 1984 में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर समाहर्ता एवं सरकार से आग्रह किया है कि प्रशासनिक दृष्टि से उचित स्थान में पूर्वी अनुमंडल कार्यालय रखने की कारंवाई की जाय। सर्वांगीण विकास एवं सुलभ प्रशासन के दृष्टिकोण से समाहर्ता, सीतामढ़ी से नक्शे के साथ प्रतिवेदन मांगा जाय ताकि सीतामढ़ी पूर्वी अनुमंडल डुमरा मुख्यालय को पुपरी में ले जाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—यह बात सही है कि जिलाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा उनके ज्ञाप संख्या-1076 सी० दिनांक 28 मार्च 1983 द्वारा सीतामढ़ी जिला के तीन अनुमंडलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें सीतामढ़ी पूर्व अनुमंडल का मुख्यालय पुपरी में रखने का प्रस्ताव भी है।

इस संबंध में माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव एवं जिलाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी है।